विविध

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–07 / 19
दायरा दिनांक :–02.09.2019
निर्णय दिनांक :–31-5-22

उनवान

1. महेशचन्द पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा हाल निवासी न्यू नाकोडा कॉलोनी बारां।
2. बहादुर पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां
3. मांगीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील व जिला बारां

बनाम

1. सहायक देवस्थान आयुक्त जर्ये आयुक्त देवस्थान विभाग लाडपुरा कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136एल आर एक्ट

निर्णय दिनांक :– 31-5-22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील बारां की आराजी जमाबंदी सम्मत 2071–74 खाता संख्या नया 113 पुराना 109 की आराजी ख0न0 233 रकबा 0.10 है0,ख0न0 269 रकबा 2.59 है0,ख0न0 270 रकबा 0.69 है0,ख0न0 272 रकबा 0.01 है0,ख0न0 273 रकबा 1.75 है0,ख0न0 350 रकबा 0.11 है0,ख0न0 351 रकबा 0.04 है0,ख0न0 524 रकबा 0.09 है0,ख0न0 547 रकबा 1.69 है0 कुल 9 किता कुल रकबा 7.07 है0 स्थित है जिसमें से आराजी ख0न0 547 रकबा 1.69 है0 भूमि विवादित आराजियात है जिसे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है।

भूप्रबन्ध विभाग द्वारा वर्तमान ख0न0 547 रकबा 1.69 है0 साबिक ख0न0 352 रकबा 13 बीघा से कायम किया गया है जो गलत रूप से 0.39 है0 कम दर्ज किया गया है जबकि 13 बीघा का क्षेत्रफल नवीन ख0न0 547 में [illegible]08 [illegible] दर्ज होना चाहिये था जो भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सम्मत 2038–57 में गलत रूप से [illegible] 0.39 है0 रकबा कम दर्ज किया गया है जबकि मोके पर प्रार्थीगण व उससे पूर्व उनके पिता रामचन्द्र का साबिक ख0न0 352

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:48:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

रकबा 13 बीघा पर ही काबिज काश्त चल आ रहे है केवल भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में कम किया गया है जिसकी प्रार्थी गण दुरस्ती करवाकर प्रार्थीगण कम किया गया रकबा 0.39 है0 की दुरूस्ती करवाकर 2.08 है0 दर्ज करा पा सकने के अधिकारी एवं नालिशी है।

भू प्रबन्ध विभाग द्वारा समीप के ख0नं0 346 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा से कायम किये गये है जो माफी मंदिर श्री महादेवजी विराजमान सोरसन के खातेदारी में दर्ज थी जिसके भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन ख0नं0 544 रकबा 4.17 है0 दर्ज किया गया है जबकि 20 बीघा 10 बिस्वा का जो साबिक ख0नं0 346 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा से 5 बीघा 2 बिस्वा अधिक दर्ज किया गया है इस प्रकार 0.81 है0 वर्तमान ख0नं0 544 रकबा 4.17 है0 प्रार्थी कम 1 के नाम अधिक दर्ज किया गया है जिसमे से प्रार्थीगण अपने कम किये गये रकबे 0.39 है0 की दुरूस्ती कराकर ख0नं0 547 रकबा 1.69 है0 के स्थान 2.08 राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने व ख0न0 544 रकबा 4.17 है0 में से 0.38 कम करवाकर अपनी दुरूस्ती करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है।

भू प्रबन्ध विभाग को सीमित अधिकार प्राप्त थे उसे रकबा कम या अधिक दर्ज करने या खातेदार का नाम परिवर्तित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्मत 2038–57 से प्रार्थीगण के खाते एवं स्वामित्व का आराजी साबिक खसरा नं0 352 रकबा 13 बीघा का रकबा ख0न0 547 रकबा 1.69 है0 दर्ज किया गया है जबकि 2.08 है0 इर्ज किया जाना चाहिए था इस प्रकार 0.39 है0 की कमी बेशी की गई है जिसकी दुरूस्ती समीप के ख0नं0 544 रकबा 4.17 है0 से किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की और से जवाब पेश हुआ वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम जगन्नाथपुरा सम्वत 2071–74 खाता सं0 113, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी ग्राम जगन्नाथपुरा सम्वत 2071–74 खाता सं0 180,नकल नक्शा ट्रेस, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57, नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2015–24 खाता सं0 82, नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2015–24 खाता सं0 6, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57,ग्राम जगन्नाथपुरा,नकल जमाबन्दी ग्राम जगन्नाथपुरा सम्वत 2031–34 पेश की गई।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस में वकील प्रार्थी द्वारा बताया है ग्राम जगन्नाथपुरा की आराजी खाता संख्या नया 113 कुल 9 किता कुल रकबा 7.07 है0 में से ख0न0 547 रकबा 1.69 है0 के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पत्र पेश किया गया है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट सम्मत 2038–57 में वर्तमान ख0न0 547 रकबा 1.69 है0 साबिक ख0न0 352 रकबा 13 बीघा से कायम किया गया है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:48:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से 0.39 है0 कम दर्ज किया गया है जबकि 13 बीघा का क्षेत्रफल 2.08 है0 दर्ज किया जाना चाहिये था इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से सम्मत 2038–57 में पास के खसरा नं0 346 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा से ये खसरा नं0 भूप्रबन्ध विभाग द्वारा 544 रकबा 4.17 है0 दर्ज किया गया है जबकि 20 बीघा 19 बिस्वा का 3.34 है0 दर्ज किया जाना चाहिये था इस प्रकार 0.83 है0 अधिक दर्ज किया गया है इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से प्रार्थीगण का खसरा नं0 547 रकबा 1.69 है0 गलत रूप से दर्ज किया गया है जबकि 2.08 है0 दर्ज किया जाना चाहिये था तथा खसरा नं0 544 रकबा 4.17 है0 गलत दर्ज किया गया है जबकि 3.34 है0 दर्ज किया जाना चाहिये था इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नं0 544 में रकबा 0.83 है0 अधिक किया गया है तथा खसरा नं0 547 में 0.39 है0 कम दर्ज किया गया है जिसकी प्रार्थीगण दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है जबकि मौके पर प्रार्थीगण पूर्व खसरा नं0 352 रकबा 13 बीघा के अनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे है केवल रिकार्ड में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा रकबा कम दर्ज किया गया है जबकि विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के अनुसार भूप्रबन्ध विभाग को किसी भी प्रकार का रकबा कम या ज्यादा करने का कोई वेधानिक अधिकार नहीं था इस पर विधिदृष्टांत आर0बी0जे0 1996(3) पेज नं0 306 गनेश बनाम राधेश्याम में स्पष्ट रूप से आदेश किया गया है कि सेटलमेंट ऑथोरिटी केन नोट चेन्ज द इन्ट्री इन रिकार्ड विदाउट द आर्डर ऑफ द कम्पीटेन्ट कोर्ट।

लिखित निवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नं0 544 रकबा 4.17 है0 से 0.39 है0 रकबा कम किया जाकर प्रार्थीगण के खसरा नं0 547 रकबा 1.69 है0 में बढाया जाकर खसरा नं0 547 रकबा 1.69 है0 के स्थान पर 2.08 है0 राजस्व जमाबंदी एवं नक्शे में दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जगन्नाथपुरा सम्वत 2071–74 खाता सं0 113 के अनुसार प्रार्थी के खातेदारी में होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम जगन्नाथपुरा सम्वत 2071–74 खाता सं0 180 मंदिर श्री महादेव जी विराजमान सोरसन के खाते दर्ज होना पाया जाता है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57 के अनुसार साबिक ख0नं0 मि0 346 के हाल खसरा नं0 544 रकबा 4.17 है0 दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल में साबिक ख0नं0 का रकबा अंकित नहीं है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि साबिक ख0नं0 का रकबा कितना था तथा हाल ख0नं0 का रकबा उसके बराबर है या नहीं। तहसीलदार बारां से जवाब लिया गया। तहसीलदार बारां द्वारा अपने जवाब में बताया कि ख0नं0 547 जिसके पूर्व के ख0नं0 352 थे और रकबा 13 बीघा था का सेटलमेंट द्वारा 1.69 है0 में बीघा में 10.16 बैठता है कर दिया जो गत के मुकाबले 2.09 बीघा अर्थात वर्तमान रिकार्ड में 0.39 है0 कम है मुताबिक रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date:2024.04.30 10:48:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

नुसार ख0नं0 547 रकबा 1.69 है0 का वर्तमान एव गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार ख0नं0 547 का रकबा 1.69 है0 के स्थान पर 2.08 है0 होना चाहिए किन्तु राजस्व रिकार्ड में 0.39 है0 कम अंकित किया है 0.39 है0 रकबे की कमी पूर्ति ख0नं0 544 जिसका वर्तमान में रकबा 4.17 है का मिलान क्षेत्रफल के पुरान ख0नं0 346 रकबा 20.19 बीघा है जो गत के मुकाबले 5.02 बीघा अधिक अंकित किया है। जो सेटलमेंट की ख0नं0 544 रकबा 4.17 में से किया जाना बताया है प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57 के अनुसार साबिक ख0न0 346 मि0 का रकबा अंकित नहीं है। जिसके हाल ख0नं0 544 रकबा 4.17 है0 कायम किया गया है इसी प्रकार मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57 ग्राम जगन्नाथपुरा में साबिक ख0नं0 352 के हाल ख0नं0 547 रकबा 1.69 है0 कायम किया गया है परन्तु मिलान क्षेत्रफल से यह साबित नहीं होता है कि साबिक ख0नं0 का रकबा कितना था जिसके रकबा से यह नहीं पता लगाया जा सकता है कि साबिक ख0नं0 का हालख0नं0 कायम किया गया है उसका रकबा समान था या नहीं वादी द्वारा पर्याप्त रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे प्रार्थी के कम रकबा का सही पता लगाया जा सके। प्रार्थी द्वारा जिस भूमि से कमी पूर्ति करवाना चाहता है वह भूमि माफी मंदिर के खातेदारी की है देवमूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है देवमूर्ति की भूमि पर अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है प्रार्थी द्वारा पर्याप्त रिकार्ड पेश नहीं किया जिससे यह पता लगाया जा सके कि किन ख0नं0 मे प्रार्थी की भूमि अधिक दर्ज कर दी है तथा किस ख0नं0 से बेशी कर कमी पूर्ति की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:48:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner